उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1140/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.229-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(287)-2023

लखनऊः दिनांकः 06 सितम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या अधिकारी जो एसएलपी (सी) संख्यां 32709-32710/2018 भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में सी0बी0आई0सी0, भारत सरकार के परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, दिनांक 10 नवंबर, 2022 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल करने का आशय रखता हो, द्वारा अनुपालन की जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया एतद्द्वारा अधिसूचित करती हैं।

2. आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिसूचना के उपाबंध 1 पर संलग्न प्ररूप में दो प्रतियों में की जाएगी और उक्त अधिनियम की यथास्थिति, धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 107 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मैन्युअल रूप से प्रस्तुत की जाएगी, और ऐसे समय की गणना इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक या उक्त आदेश का दिनांक जो भी पश्चातवर्ती हो, से की जाएगी :

परंतु यह कि इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व अपीलीय प्राधिकारी के पास उक्त अधिनियम की धारा 107 के उपबंधों के अनुसार आदेश के विरुद्ध फाइल की गयी कोई अपील इस अधिसूचना के अनुसार फाइल की गई समझी जाएगी।

3. अपीलार्थी को उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने की पूर्व शर्त के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट कोई भी रकम जमा करना अपेक्षित नहीं होगा।

4. इस अधिसूचना के अधीन फाइल की गई अपील के साथ आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति सहित सुसंगत दस्तावेज संलग्न होंगे और ऐसी अपील तथा सुसंगत दस्तावेजों पर उत्तर प्रदेश माल

और सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 26 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. अपील की प्राप्ति पर जो इस अधिसूचना में यथा उपबंधित समस्त अपेक्षाओं को पूरा करती है, अपील संख्यां को उपदर्शित करते हुए एक पावती, अपीलीय प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी एपीएल -02 में मैन्युअल रूप से जारी की जाएगी और अपील केवल तभी फाइल की गयी मानी जाएगी जब पूर्वोक्त पावती जारी की गयी हो।

6. अपीलीय प्राधिकारी, अपने आदेश से इस अधिसूचना के साथ उपाबंध-2 के रूप में संलग्न प्ररूप में आदेश का सारांश जारी करेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव

उपाबंध -1

अपीलीय प्राधिकारी को अपील

(एसएलपी (सी) सं0 32709-32710/2018 भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निदेशों के अनुसरण में परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, दिनांक 10 नवंबर, 2022 के अनुसार पारित आदेश के विरुद्ध फाइल की गई)

1. जीएसटीआईएन-

2. अपीलार्थी का विधिक नाम -

3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो -

4. पता -

5. आदेश संख्या - आदेश दिनांक -

6. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसे पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम -

7. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी संसूचना का दिनांक -

8. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम -

9. विवादाधीन मामले के ब्यौरे-

(i) विवादाधीन मामले का संक्षिप्त विवरण -

(ii) परिपत्र संख्यां 182/14/2022-जीएसटी, दिनांक 10 नवंबर, 2022 (अधिनियम-वार) जारी होने से पूर्व दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की रकम।

(iii) उपरोक्त उपमद (ii) में निर्दिष्ट दावे के संबंध में धारा 73/74 के अधीन पारित किसी भी आदेश के ब्यौरे :

(क) आदेश संख्या - आदेश दिनांक-

(ख) उक्त आदेश के अनुसार अनुज्ञात रकम (अधिनियम-वार) -रु.

(ग) उक्त आदेश के अनुसार उद्‌गृहीत ब्याज और शास्ति (अधिनियम-वार) - रु

(घ) क्या उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई है - हां/नहीं

(ड.) यदि अपील फाइल की गई है तो अपील संख्या-...........अपील दिनांक -........

(च) उक्त अपील की प्रास्थिति - निस्तारित/लंबित

(छ) यदि अपील का निपटारा हो जाता है तो उक्त अपील के अनुसार स्वीकृत क्रेडिट रकम (अधिनियम-वार) - रु.

(iv) परिपत्र संख्यां 182/14/2022-जीएसटी, दिनांक 10 नवंबर, 2022 (अधिनियम-वार) जारी होने से पूर्व दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की रकम।

(v) उपरोक्त उपमद (iii) में निर्दिष्ट दावे के अनुसरण में स्वीकृत क्रेडिट की रकम (अधिनियम-वार) - रु.

(vi) विवादाधीन रकम (अधिनियम-वार)-रु.

10. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है - हाँ/नहीं

11. तथ्यों का विवरण:

12. अपील के आधार:

13. प्रार्थना:

सत्यापन

मैं, < ____________________________ >, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

टिप्पणी:-

1. यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो अलग शीट का उपयोग किया जा सकेगा।
2. अक्षर "एन.ए." किसी भी मद के विरुद्ध अभिलिखित किया जा सकेगा जो इस अपील के लिए अपेक्षित नहीं है।

उपाबंध -2

परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, दिनांक 10 नवंबर, 2022 के अनुसार पारित किसी आदेश के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् उपलब्ध संक्रमणकालीन क्रेडिट का सारांश

क. जीएसटीआईएन -

ख. अपीलार्थी/व्यक्ति का नाम-

अपीलार्थी/व्यक्ति का पता -

ग. आदेश के विरुद्ध अपील की गई- संदर्भ (यदि कोई हो) दिनांक -

घ. अपील संख्या दिनांक -

ड.. व्यक्तिगत सुनवाई-

च. संक्षेप में आदेश-

छ. आदेश की प्रास्थिति- पुष्टि/उपांतरित/निरस्त

ज. अपील के पश्चात् क्रेडिट/मांगकीराशि-

विशिष्टियां	केंद्रीयकर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
(क) उचित अधिकारी के आदेश के अनुसरण में अनुज्ञेय पाई जाने वाली संक्रमण कालीन क्रेडिट रकम		
(ख) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम		

स्थान :

दिनांक:

हस्ताक्षर:

अपीलीय प्राधिकारी का नाम:

पदनाम:

अधिकारिता: